न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 15 / 2023 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. श्री छगन पिता श्री कालू, जाति भील, निवासी बिछावाड़ा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. श्री भुरजी पिता श्री बिजीया, जाति भील, निवासी बिछावाड़ा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. श्री धुलजी पिता श्री बिजीया, जाति भील, निवासी बिछावाड़ा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. श्री हलिया पिता श्री बिजीया, जाति भील, निवासी बिछावाड़ा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. श्री धिरजी पिता श्री हलिया, जाति भील, निवासी बिछावाड़ा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. श्री शंकर पिता श्री वालु, जाति भील, निवासी बिछावाड़ा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. श्रीमती रसु बेवा श्री वालु, जाति भील, निवासी बिछावाड़ा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
8. श्री नगजी पिता श्री बिजीया, जाति भील, निवासी बिछावाड़ा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती मोतीया पिता श्री जोखा, जाति भील, निवासी बिछावाड़ा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. श्री जोतीया पिता श्री जोखा, जाति भील, निवासी बिछावाड़ा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. श्रीमती लुजी बेवा श्री जोखा, जाति भील, निवासी बिछावाड़ा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. श्री सुका पिता श्री मड़िया, जाति भील, निवासी बिछावाड़ा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. श्री सरदार पिता श्री मड़िया, जाति भील, निवासी बिछावाड़ा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. श्री काला पिता श्री मड़िया, जाति भील, निवासी बिछावाड़ा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. श्री भारत सिंह पिता श्री हुका, जाति भील, निवासी बिछावाड़ा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:52:43 IST
Reason: SelfAttested

8. श्री नरू पिता श्री हुका, जाति भील, निवासी बिछावाड़ा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
9. श्री प्रवीण पिता श्री हुका, जाति भील, निवासी बिछावाड़ा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
10. श्रीमती रसन पत्नी श्री हुका, जाति भील, निवासी बिछावाड़ा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
11. श्रीमती झोमा पत्नी श्री हूरतेंग, जाति भील, निवासी बिछावाड़ा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
12. सुश्री सीमा पुत्री श्री हुरतेंग, जाति भील, उम्र नाबालिग की वलिया माता व संरक्षक श्रीमती झोमा पत्नी श्री हूरतेंग, निवासी बिछावाड़ा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
13. श्री पप्पु पिता श्री हूरतेंग, जाति भील, उम्र नाबालिग की वलिया माता व संरक्षक श्रीमती झोमा पत्नी श्री हूरतेंग, निवासी बिछावाड़ा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
14. सुश्री शिल्पा पुत्री श्री हूरतेंग, जाति भील, उम्र नाबालिग की वलिया माता व संरक्षक श्रीमती झोमा पत्नी श्री हूरतेंग, निवासी बिछावाड़ा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
15. श्री अश्विन पिता श्री हुरतेंग, जाति भील, उम्र नाबालिग की वलिया माता व संरक्षक श्रीमती झोमा पत्नी श्री हूरतेंग, निवासी बिछावाड़ा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
16. भूमिधारी जरिये तहसीलदार तहसील सज्जनगढ, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम – 1955 विरूद्ध
निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधि. कुशलगढ़
दि॰ 30–06–1992 प्रकरण सं0 159/1992

———/———

उपस्थित :– 1. श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्टगण
2. पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट संख्या – 16

———::———

निर्णय दिनांक 27–06–2025

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोडेंटगण के पूर्वज हूरतेंग, सोमला पिता हिमा भील एवं मड़िया पिता चतुरा भील ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण श्री पुना के वारिस होकर वादपत्र के पृष्ठ संख्या 1 में वर्णित वंशावली के अनुसार एक ही कुटुम्ब परिवार के सदस्य है। ग्राम बिछावाडा तहसील कुशलगढ़ में हमारी पैतृक भूमि ख[illegible]ा 4 के कुल खेत 10 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:52:43 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 42 बीधा 13 बिस्वा स्थित होकर वादी एवं प्रतिवादी संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे है। उक्त भूमि पैतृक होते हुये भी पटवारी ने इन्तकाल खोलते समय अकेले बीजीया पिता पुना के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी। उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य किसी तरह का विक्रय/हस्तान्तरण नहीं होकर इन्तकाल की भूल सुधार मात्र है। अतः वाद पत्र पृष्ठ नंबर 1 में अंकित खाते की भूमि में वादीगणों का 2/3 हिस्सा व प्रतिवादीगणों का 1/3 हिस्सा का सहखातेदार घोषित करते हुये डिक्री प्रदान की जावे।

2. प्रतिवादीगणों की ओर जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र के पैरा नंबर 1 से अन्त का स्वीकार है एवं ग्राम बिछावाड़ा में स्थित उक्त भूमि वादीगणों को 2/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगणों को 1/3 हिस्सा वाद पत्र में चाही गई दादरसी अनुसार घोषणा फरमावें तो प्रतिवादीगणों को कोई आपत्ति नहीं हैं।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30–06–1992 को निर्णय पारित करते हुये पक्षकारान की स्वीकारोक्ति के आधार पर नामान्तरण द्वारा राजस्व अभिलेख में उक्तानुसार अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील दिनांक 23–05–2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई। जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 16 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 30–06–1992 की प्रमाणित प्रति दिनांक 19–01–2023 को प्राप्त हुई, लेकिन अपीलान्ट अपने अधिवक्ता से संपर्क नही कर पाये तथा ज्यादातर मजदूरी हेतु गुजरात मे रहें उसके बाद अधिवक्ता की हड़ताल रहने तथा राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल रहने से अपील मे विलम्ब हुआ। जानबूझ कर कोई विलम्ब नही किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:52:43 IST
Reason: SelfAttested

है। अतः अपील अन्दर अवधि शुमार फरमाई जावें। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

6. हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 30–06–1992 की अपील अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 23–05–2023 को प्रस्तुत की गई है, जबकि अपील की समयावधि 60 दिवस होकर अपील दिनांक 29–08–1992 तक प्रस्तुत हो जानी थी, जबकि अपील दिनांक 23–05–2023 को प्रस्तुत की गई है जो करीब 30 वर्ष 09 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई है एवं इसके लिए अपीलान्ट द्वारा देरी का कोई ठोस कारण अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित नहीं किया है। मात्र इतना कथन किया है कि प्रमाणित प्रति दिनांक 19–01–2023 को प्राप्त हुई, जो करीब 30 वर्ष से भी अधिक विलम्ब के लिए उचित एवं पर्याप्त कारण नहीं है। देरी के मामले में प्रत्येक दिन की देरी को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से इसी स्तर पर खारिज योग्य है।

7. अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–06–1992 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 27–06–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:52:43 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰** .....

छगन पिता कालू, जाति भील नि. बिछावाड़ा, तह. सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य	**बनाम**	मोतीया पिता जोखा, जाति भील नि. बिछावाड़ा, तह. सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य

अपील नं॰...**15 / 2023**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....कुशलगढ़..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....30**.....माह.....**06**.....**.....1992**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**27**.....माह.....**06**.....सन् **2025** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री जयेन्द्र पुरोहित** .....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री पैरोकार सरकार**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–06–1992 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**27**.....माह.....**06**.....**2025** को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:52:43 IST
Reason: SelfAttested